

37



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2009/चैत्र 10, 1931

No. 547]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2009/CHAITRA 10, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2009

(आय-कर)

का.आ. 884(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपखंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सीरिया अरब गणराज्य की सरकार के बीच अनुबद्ध करार और प्रोटोकोल पर 18 जून, 2008 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो उक्त करार के अनुच्छेद 29 के अनुसार इस करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात् बाद की अधिसूचनाओं के प्राप्त होने की तारीख होने के कारण 10 नवम्बर, 2008 को प्रवृत्त होगा।

अब, अंतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि इसके साथ अनुबद्ध उक्त करार और प्रोटोकोल के सभी उपबंध भारत संघ में 1 अप्रैल, 2009 से लागू होंगे।

[अधिसूचना सं. 35/2009-वि.क.प्र.-II/फा. सं. 503/7/2005-वि.क.प्र.-II]

के. रामालिंगम, संयुक्त सचिव

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सीरिया अरब गणराज्य की सरकार के बीच करार

प्रस्तावना

भारत गणराज्य की सरकार और सीरिया अरब गणराज्य की सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद - 1

शामिल व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद - 2

शामिल कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी रूप से लगाए जाएं ।

2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों सहित कुल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा।

3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा वे हैं :-

(क) सीरिया अरब गणराज्य के मामले में :

- (i) वाणिज्यिक औद्योगिक और गैर वाणिज्यिक लाभों पर आयकर ;
- (ii) वेतन और मजदूरी पर आयकर ;
- (iii) अनिवासियों पर आयकर ;
- (iv) चल और अचल पूंजी के राजस्व पर आयकर ;
- (v) ऊपर उल्लिखित करों जिसमें स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए अधिभार भी शामिल हैं, के प्रतिशत के रूप में लगाए गए अधिभार ;

(जिसे इसमें इसके बाद "सीरिया अरब गणराज्य के कर" कहा गया है) ;

(ख) भारत गणराज्य के मामले में, आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है;

(जिसे इसमें इसके बाद 'भारतीय कर' कहा जाएगा)।

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्त्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के संक्षम प्राधिकारी किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराराधान कानूनों में किए गए हैं।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "सीरिया" पद से अभिप्रेत है, अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सीरिया अरब गणराज्य के भू-क्षेत्र, जिसमें अर्धवर्ती जल राज्यक्षेत्रीय समुद्र, उसकी अवमृदा और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र, जिस पर सीरिया को प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार है और अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं जिस पर सीरिया को प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण, दोहन और संरक्षण के प्रयोजन से प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों के प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है ;

(ख) "भारत" पद से अभिप्रेत है, भारत का भू-क्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र तथा इसके साथ समुद्री कानून, 1982 पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय सहित कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिस पर भारतीय कानून और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हो ;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार सीरिया अरब गणराज्य अथवा भारत गणराज्य है ;

(घ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई समूह और कोई अन्य ऐसी सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों

में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कराधेय इकाई के रूप में माना जाता हो ;

- (ड.) “राष्ट्रिक” पद से अभिप्रेत है :
- (i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति;
 - (ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी और संस्थान, जिसे अपने इस तरह की हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो ;
- (च) “कम्पनी” पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाए;
- (छ) ‘उद्यम’ पद किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए लागू होता है ;
- (ज) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” तथा “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” पद से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;
- (झ) “अंतरराष्ट्रीय यातायात” पद से अभिप्रेत है, किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थानों के बीच ही चलाया जाता है ;
- (ञ) “सक्षम प्राधिकारी” पद से अभिप्रेत है :
- (i) सीरिया के मामले में, वित्त मंत्री अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
 - (ii) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ट) “कर” पद से संदर्भ के अनुसार भारतीय कर अथवा सीरिया अरब गणराज्य कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी, जो उन करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संदर्भ में देय हो, जिन पर यह करार लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड अथवा जुर्माने का द्योतक हो ;

(ठ) “वित्त वर्ष” पद से अभिप्रेत है :

(i) भारत के मामले में, अप्रैल माह की पहली तारीख को आरम्भ वित्तीय वर्ष ;

(ii) सीरिया के मामले में, जनवरी माह की पहली तारीख को आरम्भ वित्तीय वर्ष ;

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक इस करार को किसी भी समय लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य, जिस पर यह करार लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और यह अर्थ उस राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं ।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” पद का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध-स्थान अथवा ऐसे ही स्वरूप के कोई अन्य मानदंड के कारण से कर लगाया जा सकता है और इसमें वह राज्य और इसका कोई राजनयिक उप-प्रभाग अथवा उसका स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है । तथापि, इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल उस राज्य में स्थित स्रोतों से होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. जहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

- क) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह केवल उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);
- ख) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;
- ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;
- घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसे केवल उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है ।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए 'स्थायी संस्थापन' पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।

2. 'स्थायी संस्थापन' पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

- (ग) कोई कार्यालय ;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ) कोई कार्यशाला ;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ।
- (छ) कोई बिक्री बाजार ;
- (ज) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहाँ कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों ; और
- (झ) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार, जो दूसरों को प्रभारों के भुगतान पर भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हों ।
3. (क) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप तभी एक स्थायी संस्थापन बनेगा यदि ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 270 दिवस अथवा इससे अधिक समय तक चले ।
- (ख) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे कर्मचारियों अथवा अन्य कर्मिकों के माध्यम से किसी उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, परन्तु यह केवल उन्हीं सेवाओं के लिए होंगी जहां उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए देश के भीतर जारी रहती हों (उसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु) ।
4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी 'स्थायी संस्थापन' पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :
- (क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

- (ख) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;
- (ङ) उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;
- (च) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं मिले-जुले कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान के समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप के हों ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है, को उन कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को :

- (क) उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है, को उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा; अथवा
- (ख) ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह फिर भी आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता

हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलिवरी करता हो ;

(ग) स्वयं, उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया प्रथोल्लिखित राज्य में आदतन कार्य का आर्डर प्राप्त करता हो ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम को पुनः बीमा करने के मामले को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा, यदि वह स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस अन्य राज्य के क्षेत्र में बीमे का प्रीमियम एकत्र करता है अथवा वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

7. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

8. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, तो उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय (कृषि अथवा वानिकी से आय समेत) पर उस संविदाकारी राज्य में उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है, जिसमें ऐसी अचल सम्पत्ति स्थित है ।

2. इस करार के प्रयोजनार्थ "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति

स्थित है। इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार ; जलयान, नौकाएं और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की संभावना तब होगी जब एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुए कोई अलग और भिन्न उद्यम हो और वे उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उस राज्य के कर कानूनों के उपबंधों और उसकी सीमाओं के अध्यधीन उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार

लगाए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में किए गए हों, जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों।

4. जहां एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी। तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

5. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 8

अंतरराष्ट्रीय परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभ केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे।

2. यदि किसी जहाजरानी उद्यम का प्रभावी प्रबंध-स्थान एक जलयान पर हो, तब इसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें जलयान का घरेलू बन्दरगाह स्थित हो अथवा यदि उस संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई घरेलू बन्दरगाह न हो, तो इसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसका जलयान का प्रचालक एक निवासी हो।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयोग किए जा रहे कंटेनरों के प्रयोग, अनुक्षण अथवा उन्हें किराये पर देने (जिसमें कंटेनरों के

परिवहन के लिए ट्रेलर और अन्य उपस्कर शामिल हैं) से किसी परिवहन उद्यम, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, के द्वारा प्राप्त लाभ जो कि इसक अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन के लिए प्रासंगिक हैं, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे, जब तक कि कंटेनरों का प्रयोग केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर ही किया जाता हो ।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा वायुयानों के प्रचालन से सीधे संबद्ध निवेशों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ समझा जाएगा यदि वे ऐसा व्यवसाय करने के लिए अनिवार्य है और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

5. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाएगी तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभासित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा जहां वह अन्य राज्य इस समायोजन को उचित समझे। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :-

(क) लाभांशों की सकल राशि का 5 प्रतिशत यदि हितभागी स्वामी कोई कम्पनी है (भागीदारिता के अतिरिक्त) जो लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के शेयरों का कम से कम 10 प्रतिशत धारण करती है ;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 10 प्रतिशत।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें से लाभांश अदा किए गए हैं।

3. इस अनुच्छेद में कथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ की भागीदारिता के ऋण के दावे न हों, और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जब तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के अद्वितीय लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अद्वितीय लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद - 11.

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले ब्याज को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा व्युत्पन्न तथा हितभागी स्वामित्व प्राप्त होगा:

- (क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनीतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण ; अथवा
- (ख) (i) भारत के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक ; और
- (ii) सीरिया के मामले में, सेंट्रल बैंक ऑफ सीरिया ।

4. इस अनुच्छेद में यथा - प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा डिबेंचरों से प्राप्त आय है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा डिबेंचरों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार के साथ-साथ अन्य आय भी शामिल हो । विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां, ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की

स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों के आधिक्य भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियाँ

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियाँ उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियाँ अदा की जाती हैं, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. (क) एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियां तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियाँ अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियाँ अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो, और ऐसी रायल्टियाँ उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियाँ उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

(ख) जहां उप-पैराग्राफ (क) के अंतर्गत संविदाकारी राज्यों में से किसी एक में रायल्टियाँ उद्भूत नहीं होती और रायल्टियाँ संविदाकारी राज्यों में से किसी एक में अधिकार अथवा सम्पत्ति के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार से संबंधित है तो रायल्टियाँ उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुई मानी जाएंगी।

6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियाँ प्रयोग, प्रयोगाधिकार या सूचना के संबंध में जिस के लिए वह अदा की जाती है, किसी भी कारण से उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर ऐसे संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी द्वारा जिस पर सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा।

अनुच्छेद - 13

पूँजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलामों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ

उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाम भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित, चल सम्पत्ति के अंतरण, जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है, द्वारा प्राप्त अभिलामों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

4. किसी ऐसी कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलामों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. पैराग्राफ 1, 2, 3 और 4 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलामों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी, व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन अथवा इसी प्रकार के स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा :

(क) यदि उसे अपने कार्य-कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुए किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा इससे अधिक दिन हों, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त हुई हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, शल्य चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, दन्त चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद - 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. इस करार के अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का निष्पादन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि ऐसा नियोजन किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुए किसी बारह महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रह रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं हैं ;

(ख) पारिश्रमिक, ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक, ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में रखता हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिचालित किसी बलयान अथवा वायुयान के संचालन पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायगियों, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी कम्पनी जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य या किसी कंपनी के किसी अन्य समान पद की हैसियत से प्राप्त की गई हों, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद - 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हैं।
3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए अपने कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि वे कार्यकलाप एक या दोनों संविदाकारी राज्यों या उसके राजनीतिक उप-प्रभाग या उसके स्थानीय प्राधिकारियों की सार्वजनिक निधियों द्वारा पर्याप्ततः समर्थित हों। ऐसे मामले में, उस आय पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसका वह मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।

अनुच्छेद - 18

पेंशन

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्वधीन किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को उस के पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में उसके कानूनों के अनुसार कर लग सकेगा ।
2. पैराग्राफ 1 में ऐसा कुछ नहीं है जो पेंशन को कर से छूट प्रदान करने के संबंध में किसी संविदाकारी राज्य के कानून के उपबंधों को प्रभावित करे ।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा ।
- (ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस राज्य में प्रदान की जाती हैं, और व्यक्ति उस राज्य का एक निवासी हो, जो :
 - (i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो ; अथवा
 - (ii) मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।
2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उनके द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई किसी पेंशन पर केवल उस राज्य में कर लग सकेगा ।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि व्यक्ति उस राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पेंशन को कर से छूट देने के संबंध में संविदाकारी राज्य के कानून के उपबंधों को प्रभावित करे ।

अनुच्छेद - 20

प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई व्यक्ति, जो किसी संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरन्त पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था जो और दूसरे राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान या प्रथमोल्लिखित राज्य की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष संस्थान में अध्यापन, भाषण देने या शोधकार्य में संलग्न होने के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है तो उसका ऐसे अध्यापन, भाषण अथवा शोधकार्य के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रथमोल्लिखित राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि ऐसा शोधकार्य मुख्यतः किन्हीं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के लाभ के लिए किया जा रहा है न कि सार्वजनिक हित के लिए ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, कोई व्यक्ति किसी संविदाकारी राज्य का निवासी तभी माना जाएगा यदि वह उस वित्तीय वर्ष में, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा उससे तुरंत पहले के वित्तीय वर्ष में प्रथमोल्लिखित राज्य का निवासी है ।

अनुच्छेद - 21

विद्यार्थी

1. कोई विद्यार्थी, जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस अन्य संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, उसे अनुदानों, ऋणों और छात्रवृत्ति के अतिरिक्त निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी :-

(क) उसे उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस अन्य राज्य के बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा की गई अदायगियाँ ; और

(ख) दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके द्वारा किए गए नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक पर, यदि वह नियोजन प्रत्यक्षतः उसके अध्ययन से संबंधित हो ।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परन्तु किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार छह-वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मरदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा

अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, जो ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर लाटरियों, वर्ग पहेलियों, दौड़ों, जिसमें घुड़दौड़ शामिल है, कार्ड गेम्स एवं किसी प्रकार के अन्य खेलों अथवा जुआ खेल अथवा किसी स्वरूप की प्रक्रिया, जो भी हो, के रूप में स्रोतों से आय प्राप्त करता है तो इस प्रकार से प्राप्त आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को अधिशासित करते रहेंगे। तथापि, इस करार के उपबंध वहां लागू होंगे जहां इस करार में सुस्पष्ट उपबंध तैयार किए गए हैं। जब दोनों संविदाकारी राज्यों में आय कर के अध्याधीन होती है, तब इस अनुच्छेद के निम्नलिखित पैराग्राफों के अनुसार दोहरे कराधान से राहत दी जाएगी।

2. भारत में :

क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता हो जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार सीरिया में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत, उस निवासी की आय पर कर के संबंध में सीरिया में अदा किए गए कर के समकक्ष राशि पर कटौती की अनुमति प्रदान करेगा।

तथापि, ऐसी कटौती, छूट दिए जाने से पहले जैसा भी मामला हो, यथासंगणित कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसका श्रेय उस आय को हो जिस पर सीरिया में कर लगाया जा सकता है।

ख) जहां, इस करार के किसी भी उपबंध के अनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर भारत में कर से छूट प्राप्त होती है, वहां भारत फिर भी, ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट प्राप्त आय की धनराशि को ध्यान में रखेगा।

3. सीरिया में :

- क) जहां सीरिया का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता हो जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां सीरिया उस निवासी की आय पर ऐसी आय के संबन्ध में भारत में अदा किए गए कर के बराबर राशि पर कटौती की अनुमति प्रदान करेगा।

तथापि, ऐसी कटौती छूट दिए जाने से पहले जैसा भी मामला हो, यथासंगणित कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसका श्रेय उस आय को हो जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है।

- ख) जहां, इस करार के किसी भी उपबंध के अनुसार सीरिया के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर सीरिया में कर से छूट प्राप्त होती है, वहां सीरिया, फिर भी, ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट प्राप्त आय की धनराशि को ध्यान में रखेगा।

अनुच्छेद - 24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर उन्हीं परिस्थितियों में विशेष रूप से निवास के संबन्ध में लागू होती हो अथवा लागू की जानी हो। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं।
2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार कि ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो अपने निवासियों को देता है।

3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 का पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, वहां एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टियाँ तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया हो ।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है ।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी, इस करार के अंतर्गत आने वाले करों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 25

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानून द्वारा उपलब्ध कराए गए उपायों पर ध्यान दिए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः उस पर ऐसा कराधान लगाया जाता है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति न्यायोचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस तरह किए गए

किसी करार को, संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानून में किन्हीं समय सीमाओं के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा।

3. यदि इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कठिनाईयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था न की गई हो।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब, यह विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करने के लिए करार करने की दिशा में उपयुक्त प्रतीत होता हो, तब इस तरह का आदान-प्रदान एक आयोग के माध्यम से हो सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों।

अनुच्छेद - 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी प्रकार एवं किस्म के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के उपबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई किसी सूचना को उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझा जाएगा और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो प्रथम वाक्य में उल्लिखित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;
- ख) ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियां शामिल हैं) की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;
- ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक) ।

अनुच्छेद - 27

लाभों का परिसीमन

किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी इस करार में दी गई कर व्यवस्था में कर में किसी कटौती का अथवा छूट का लाभ पाने के लिए हकदार नहीं होगा यदि इसके कार्य इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए थे कि उनका प्राथमिक प्रयोजन इस करार के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करना था । उन वैध इस्तियों के मामले, जिनके प्रमाणिक व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं हैं, इस अनुच्छेद के उपबंधों के अंतर्गत आएंगे ।

अनुच्छेद - 28

राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसुली पद

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कौंसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 29

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे कि इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है ।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से परवर्ती अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

3. इस करार के उपबंधों का निम्न प्रभाव होगा :-

क) भारत में, उस कैलेण्डर वर्ष के अगले उत्तरवर्ती वर्ष, जिस वर्ष में करार प्रवृत्त होता है, के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ आय के संबंध में ; और

ख) सीरिया में :

i) उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें करार अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार प्रवृत्त हुआ है, के तुरंत बाद जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद खाते में प्रदत्त अथवा क्रेडिट की गई राशियों पर स्रोत पर काटे गए करों के संबंध में ।

ii) उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार प्रवृत्त होता है, के आगामी वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्युत्पित आय के संबंध में, आय पर अन्य करों के संबंध में ।

4. आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सीरियन अरब गणराज्य की सरकार के बीच 6 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार का प्रभाव तब समाप्त हो जाएगा जब इस करार के उपबंध पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अनुसार प्रभावी हो जाते हैं ।

अनुच्छेद - 30

समापन

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संबिदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । दोनों में से कोई भी संबिदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) भारत में, उस कैलेण्डर वर्ष के अगले उत्तरवर्ती वर्ष, जिसमें नोटिस दिया जाता है, की अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद के किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई आय के संबंध में ;

(ख) सीरिया में :

i) उस वर्ष आगामी कैलेण्डर वर्ष जिसमें समापन का नोटिस दिया जाता है, के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद खाते में प्रदत्त अथवा क्रेडिट की गई राशि पर स्रोत पर काटे गए करों के संबंध में ;

ii) उस वर्ष के आगामी कैलेण्डर वर्ष, जिसमें समापन का नोटिस दिया गया हो, के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त आय के संबंध में आय पर अन्य करों के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार आठ के जून माह के 18वें दिन, प्रत्येक को हिन्दी, अरेबिक और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

ह./-

(प्रणब मुखर्जी)

विदेश मंत्री

सीरियन अरब गणराज्य की
सरकार की ओर से

ह./-

(अमेर हुस्नी लुत्फी)

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार मंत्री

(प्रोटोकॉल)

भारत गणराज्य की सरकार और सीरियन अरब गणराज्य की सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए इस करार पर वर्ष 2008 के जून माह के 18 वें दिन को नई दिल्ली में हस्ताक्षर करने हेतु निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुए हैं, जो उक्त करार के अभिन्न अंग के रूप में होंगे :

1. अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 3 के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां उस राज्य, जिसमें किसी व्यक्ति का (किसी व्यक्ति से भिन्न) प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है, को निर्धारित नहीं किया जा सकता हो, तब संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस प्रश्न को आपसी सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे ।
2. अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि इस उपबंध का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा, जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के घरेलू कर्तव्य के उपबंधों के ढांचे के भीतर किसी ऐसी स्थायी संस्थापन, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी कम्पनी का प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित है, के लाभों को प्रभारित करने से रोकना नहीं है, और न ही अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है ।
3. 'सूचना का आदान-प्रदान' से संबंधित अनुच्छेद 26 के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि एक संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध करने पर दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस करार के उपबंधों के अनुपालन हेतु अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक किस्म एवं प्रकार के करों से संबंधित अंतरदेशीय कानूनों के विषय में आवश्यक सूचना प्रथमोल्लिखित राज्य के उस सक्षम प्राधिकारी को देगा जो इसे अपने अन्तरदेशीय कानूनों के तहत प्राप्त कर सकता है ।
4. वसूली में सहायता के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि यदि इस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख के बाद सीरिया वसूली में ऐसी सहायता की अनुमति हेतु दूसरे देश के साथ ऐसी व्यवस्था करता है तो सीरिया भारतीय सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा और इस करार में वसूली में सहायता के संबंध में उपबंधों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ तत्काल बातचीत करेगा

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

ह./-

(प्रणव मुखर्जी)

विदेश मंत्री

सीरियन अरब गणराज्य की
सरकार की ओर से

ह./-

(अमर हुस्नी लुक्की)

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार मंत्री